

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



ekuo vf/kdkj tkx: drk dk v/; ;u% egkfo | ky; hu fo | kfFk; k d: l UnHk e

M,- vfurk flg]

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

M,- fjfrdk l kuh]

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,
मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

'kk/k l kj

अधिकारों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम अपने जीवन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हों तो हमें जाने-अनजाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यदि मानव अधिकार विद्यार्थियों के लिये कहा जाये तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल के भारत का भविष्य है। व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपने अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शोधकर्त्ता ने अपने शोधकार्य में ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालय के छात्रों की मानव अधिकार जागरूकता मापने का प्रयास किया है तथा प्राप्त अंको के मध्यमान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण विद्यार्थियों के अपेक्षा शहरी विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है। वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत आधुनिक संचार सुविधाएँ तथा तकनीकी प्रचार-प्रसार की सामग्रियाँ जैसे कम्प्यूटर, एल.सी.डी., प्रोजेक्टर आदि ग्रामीण विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि शहरी क्षेत्र के माता-पिता अधिक प्रचार-प्रसार के कारण अधिक जागरूक होते हैं। कम शैक्षिक क्षमता एवं कम प्रचार-प्रसार के कारण ग्रामीण क्षेत्र के पालक अपने पाल्यों को उचित वातावरण नहीं दे पाते।

e[; 'kCn

ekuo vf/kdkj] f'k{kk] fo | kFkhi-

Hkfedk

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज भारतीय समाज कुरीतियों का घर है। इन कुरीतियों ने उसे जर्जर कर दिया है। समय बदला, देश की स्थिति बदली, हम स्वतंत्र हुए परन्तु हमारी सामाजिक विषमताएँ आज भी वैसे ही हैं जैसे दो वर्ष पहले थी। समाज की प्रमुख समस्या जागरूकता की है कि हम अर्थात् हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, यद्यपि भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिये हैं परन्तु वे नाम मात्र हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों को आज तक पहचान नहीं पाए सभी लोग समाज में फैली विभिन्न प्रकार की बुराईयों का समाधान चाहते हैं। मनुष्य के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर ही एक स्वस्थ समाज एवं उन्नत राष्ट्र का निर्माण होगा। शिक्षित व्यक्ति समाज में फैली बुराईयों को दूर करने में सक्षम होता है इसलिए शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों की शिक्षा दी जाय, जिससे मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार होगा और प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। भारतीय संविधान

विश्व में अपनी विचित्रता के लिए विख्यात है। भारतीय संविधान के निर्माण को बताते हुए भारतीय इतिहास में मानव अधिकारों के वर्णन का उल्लेख किया गया है।

ekuo vf/kdkjk dk vFk

मानव अधिकार को अंग्रेजी के Human Rights का हिन्दी अनुवाद है।

ekuo॥ मानव होमोसैपियन्स जाति का एक सदस्य है।

vf/kdkjk॥ अधिकार शब्द का आशय मनुष्य के मूलभूत तत्वों से संयुक्त होना है अर्थात् अधिकृत करना है।

1. वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के जन्म जात होते हैं और उसके जीवन के अभिन्न अंग होते हैं।
2. वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए आधार भूत हैं।
3. वे अधिकार जिनके उपभोग के लिए उचित सामाजिक दशाओं या परिस्थितियों का होना एक पूर्व शर्त है।

lcf/kr 'kk/k v/ ; ; u

छाबरा (2005) ने शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मानव अधिकार पर अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में शहरी विद्यार्थी मानव अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हैं। गजपाल एवं चौबे ने (2020) में लिंग के आधार पर बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया दुबे (2012) ने अपने लघुशोध में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर शिक्षिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि उच्च शिक्षा में अध्यापनरत् शिक्षिकाओं की मानव अधिकार जागरूकता सर्वाधिक है और प्राइमरी शिक्षिकाओं की जागरूकता का स्तर समस्त शिक्षिकाओं के स्तर से कम पाया गया। नावा एवं मैनकाओं (2003) ने फिलिपीन्स के छात्रों पर मानवाधिकार जागरूकता का अध्ययन करके जाना कि 96 प्रतिशत छात्र मानवाधिकार के बारे में जानते हैं। मिसबांटो (2010) ने इन्डोनेसिया के स्कूलों में मानवाधिकार पर शोध किया और पाया कि वहाँ मानव अधिकार जागरूकता सैद्धांतिक रूप से अधिक है। हयासी (2010) ने छात्रों पर अध्ययन कर बताया कि ओसाका में मानव अधिकार जागरूकता अल्पसंख्यक छात्रों में अधिक है। इसी प्रकार करन (2011) आस्ट्रेलिया के ग्रामीण एवं शहरी बच्चों के जागरूकता पर शोध किया जहाँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों बच्चे कमजोर पाये गये। विलियम (2012) ने नाइजेरिया के शहरी, अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के मानव अधिकार हनन का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण में अधिक तथा शहर में हनन कम होता है।

leL;k dk m) j.k

मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनेक साधनों को अपनाता है और मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन के द्वारा नहीं हो पाती है तब “आवश्यकता की संतुष्टि के साधन या मार्ग में बाधा को भी समस्या कहते हैं”। जब समस्या के समाधान का साधन खोज लिया जाता है उसके बाद आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तथा समस्या का अंत हो जाता है। इस प्रकार आवश्यकता जितनी प्रबल होगी अवरोध भी उतना तीव्र होगा और समस्या उतनी ही गंभीर होगी। इस लघुशोध में शोधकर्ता ने ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयी विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता पर अध्ययन करने का प्रयास किया है।

v/ ; ; u dk mí' ;

आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन किया गया है:

- ◆ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करना।
- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करना।
- ◆ शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करना।
- ◆ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करना।
- ◆ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करना।

ifjdYiuk

शोधकर्ता द्वारा चयन की गई समस्या “ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता पर एक अध्ययन” के लिये निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:

- H₀₁** ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- H₀₂** ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- H₀₃** शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- H₀₄** ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- H₀₅** ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

U;kn'k

व्यवहारिक एवं सामाजिक विषयों के शोध कार्य में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है, इसके बिना शोधकार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना कठिन होता है तथा कभी-कभी असंभव भी होता है। न्यादर्श शोधकार्य व्यवहारिक तथा समय व धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है।

शोधकर्ता ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्ग जिले के 5 ग्रामीण एवं 5 शहरी महाविद्यालयों में से 50 ग्रामीण एवं 50 शहरी छात्रों का यादृच्छिक विधि से चयन किया है।

midj.k

किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन तथा अज्ञात प्रदत्तों के संकलन के लिए अनेक विधियों का चयन किया जाता है। अनुसंधान में किसी प्रकार के आँकड़ों के मापन के लिए अनुसंधानकर्ता एक उत्तम यंत्र का प्रयोग करता है, प्रदत्तों के संकलन के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन यंत्रों को ही उपकरण कहते हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध “ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन स्तानक विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता पर एक तुलनात्मक अध्ययन” के लिए शोधकर्ता ने डॉ. विशाल सूद एवं डॉ. आरती आनंद द्वारा निर्मित H.R.A. Test मापनी का प्रयोग किया गया है।

v/;;u dh ifj lhek

शोधकर्ता ने समय एवं धन को ध्यान में रखते हुये अध्ययन के विषय को निम्नलिखित प्रकार से परिसीमांकन किया गया है:

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयों का चयन किया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा मानव अधिकार जागरूकता का मापन किया गया है।
3. इस अध्ययन में केवल स्नातक छात्रों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।
4. यादृच्छिक विधि द्वारा 100 न्यादर्श का चयन किया गया है।
5. प्रस्तुत अध्ययन में मानव अधिकार जागरूकता के मापन हेतु डॉ. विशाल सूद एवं डॉ. आरती आनन्द द्वारा निर्मित प्रमापीकृत मानव अधिकार जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया।

वर्क फो'क

H₀₁ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयी विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 'टी' मूल्य के मान की गणना की गई जिसे अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

Table 1 ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्र	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
ग्रामीण	50	65.54	9.06	4.27
शहरी	50	73.02	7.92	
df = 98 P < 0.05				सार्थक अंतर है।

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का मध्यमान 65.54 तथा प्रमाणिक विचलन 9.06 एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का मध्यमान 73.02 तथा प्रमाणिक विचलन 7.92 पाया गया। दोनों के मध्य 'टी' मूल्य 4.27 प्राप्त हुआ। प्राप्त मान की df = 98 पर 0.05 स्तर के सारणीय मान 1.98 से अधिक है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

H₀₂ ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु ग्रामीण महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 'टी' मूल्य के मान की गणना की गई जिसे अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

Table 2 ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्र	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
ग्रामीण क्षेत्र के छात्र	25	63.60	8.37	4.67
ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएँ	25	67.48	9.32	
df = 48 P < 0.05				सार्थक अंतर है।

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान 63.60 तथा प्रमाणिक विचलन 8.37 एवं ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्राओं का मध्यमान 67.48 तथा प्रमाणिक विचलन 9.32 पाया गया। दोनों के मध्य सार्थकता का अवलोकन किया गया। दोनों के मध्य 'टी' मूल्य 4.67 प्राप्त हुआ। प्राप्त मान का df = 48 पर 0.05 स्तर के सारणीय मान 2.01 से अधिक है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

H₀₃ शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 'टी' मूल्य के मान की गणना की गई जिसे अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

Table 3 शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्र	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
शहरी क्षेत्र के छात्र	25	75.00	8.72	4.63
शहरी क्षेत्र की छात्रायें	25	70.64	7.38	
df = 48		P < 0.05		सार्थक अंतर है।

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्रों का मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान 75.00 तथा प्रमाणिक विचलन 8.72 एवं शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्राओं का मध्यमान 70.64 तथा प्रमाणिक विचलन 7.38 पाया गया। दोनों के मध्य सार्थकता का अवलोकन किया गया। दोनों के मध्य 'टी' मूल्य 4.63 प्राप्त हुआ। प्राप्त मान की df = 48 पर 0.05 स्तर के सारणीय मान 2.01 से अधिक है जिससे यह प्रमाणित होता है कि शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

H₀₄ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 'टी' मूल्य के मान की गणना की गई जिसे अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

Table 4 ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्र	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
ग्रामीण छात्र	25	63.60	8.37	22.8
शहरी छात्र	25	75.00	8.73	
df = 48		P < 0.05		सार्थक अंतर है।

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्रों का मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान 63.60 तथा प्रमाणिक विचलन 8.37 एवं शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्रों का मध्यमान 75.00 तथा प्रमाणिक विचलन 8.73 पाया गया। दोनों के मध्य सार्थकता का अवलोकन किया गया। दोनों के मध्य 'टी' मूल्य 22.8 प्राप्त हुआ। प्राप्त मान की df = 48 पर 0.05 स्तर के सारणीय मान 2.01 से अधिक है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्रों के मानव अधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

H₀₅ ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 'टी' मूल्य के मान की गणना की गई जिसे अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

Table 5 ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्षेत्र	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
ग्रामीण छात्रायें	25	67.48	9.32	2.72
शहरी छात्रायें	25	70.64	7.38	
df = 48		P < 0.05		सार्थक अंतर

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्राओं का मानव अधिकार जागरूकता का मध्यमान 67.48 तथा प्रमाणिक विचलन 9.32 एवं शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्राओं का मध्यमान 70.64 तथा प्रमाणिक विचलन 7.38 पाया गया। दोनों के मध्य सार्थकता का अवलोकन किया गया। दोनों के मध्य 'टी' मूल्य 2.72 प्राप्त हुआ। प्राप्त मान की df = 48 पर 0.05 स्तर के सारणीय मान 2.01 से अधिक है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयीन छात्राओं के मानव अधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

4.2.1

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता ने ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मानव अधिकार जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया है तथा प्राप्त अंकों के मध्यमान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण विद्यार्थियों के अपेक्षा शहरी विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं। वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत आधुनिक संचार सुविधाएँ तथा तकनीकी प्रचार-प्रसार की सामग्रियाँ जैसे कम्प्यूटर, एल.सी.डी., प्रोजेक्टर आदि ग्रामीण विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि शहरी क्षेत्र के माता-पिता अधिक प्रचार-प्रसार के कारण अधिक जागरूक होते हैं। कम शैक्षिक क्षमता एवं कम प्रचार-प्रसार के कारण ग्रामीण क्षेत्र के पालक अपने पाल्यों को उचित वातावरण नहीं दे पाते।

4.2.2

जागरूकता के प्रसार हेतु जो सुझाव शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्य के दौरान अनुभव हुए हैं, वे इस प्रकार हैं:

- मानव अधिकारों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
- मानव अधिकारों के प्रचार-प्रसार के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।
- विधिक साक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है।
- सरकारी संगठनों/विभागों का मानव अधिकारों के प्रति अभिमुखी करण करके जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
- विद्यालय स्तर से ही छात्र-छात्राओं को मानव अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।

Introduction

1. Bhatnagar, R.P. (2010). *Educational research*. Merut : International Publishing House, 420,306.
2. Chhabra, P. (2005). A study of human rights awareness of rural and urban students. (M.Ed.Dissertation), Simla:Himanchal Pradesh University.
3. Dubey. (2012). A study of human rights awareness in female teachers. *Modern education research in India*, 18(3), 66-70. Gajpal K.N., Chobey R.(2020) B.Ed prashikshartiyo ke manavadhkar ke prati jagrukta par ek adhyan. *Int. J. Rev. and Res. Social Sci.*,8(4),242-250.
4. Dubey. (2012). A study of human rights awareness in female teachers. *Modern education research in India*, 18(3), 66-70.
5. Gajpal K.N., Chobey R., (2020) B.Ed prashikshartiyo ke manavadhkar ke prati jagrukta par ek adhyan. *Int. J. Rev. and Res. Social Sci.*,8(4),242-250.
6. Hayasi,S.(2010). Evalutting human rights education in Osaca senior secondary school. *Human rights education in Asian school*, VI,1-10.
7. Karan,M.(2011). A study of human rights awareness of rural and urban children. Australia:Babasiga Fiji story labasa, .01.
8. Miswanto, A. (2010). Human rights education in Indonesia : Moha- mmadiyah School Experience. *Human rights education in Asia pacific*, 2, 90- 97, 115-118.
9. Nava,L.H. & Mankav,T. (2005). Human rights awareness of secondary school students in Philippins: A simple survey. *Human rights education in Asia School*, VII, 72.
10. Pyakurel, G. (2005). human rights education in secondary school in Nepal. *Human rights education in Asia School*, VIII, 1-10.
11. Pathak, C.K. (2003). *Human Rights Education*. New Delhi : Rajat Publication, 60 .
12. William, S. (2012). School location and Human rights violation in Secondary School student's personnel administration in Naigeria : A survey. *International Journal of Academic Research in progressive education and development*, I(2), 199-209

---==00==---